कार्यालय आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर
दूरभाष +919068881356

पत्रांक 569/ल/सां0 अनुभाग/निविदा विज्ञा0/2026–27 दिनांक 09/10/2026

उत्तराखण्ड राज्य में गन्ना की फसल में प्रयोग होने वाले कृषि रक्षा रसायनों, जैविक उत्पादों की खरीद किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी थी, किन्तु अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के 3.3.4 सीमित निविदा पृच्छा (एल.टी.ई) के प्रस्तर VII के अनुसार निविदा प्राप्त न होने के दृष्टिगत पुनः कृषि रक्षा रसायनों/जैविक उत्पादों हेतु दर अनुबन्ध से सम्बन्धित नियम–शर्ते तथा निविदा फार्म विभागीय वेबसाइट www.sugarcane.uk.gov.in से दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 तक डाउनलोड किये जा सकते हैं, जिनका निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही जमा किया जायेगा।

दिनांक 15.10.2026 के पश्चात् की तिथि के बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे। मोहर बन्द दर प्रस्ताव/कोटेशन प्रपत्र दिनांक 16.10.2026 को प्रातः 11:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे एवं उसी दिन दोपहर 12:00 बजे क्रय समिति (निविदा संवीक्षा समिति) के सम्मुख खोले जायेंगे। किसी दर प्रस्ताव/कोटेशन अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा।

Digitally signed by
Himani Pathak
Date: 09-10-2026
16:58:35

संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड

—: नियम एवं शर्तें :—

सभी दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले ख्याति प्राप्त मूल विनिर्माता फर्मो एवं उनके अधीन पंजीकृत आपूर्ति कर्ता फार्मओं से बीज उपचारक/कीटनाशक/खरपतवारनाशक (तालिका एक के अनुसार) कृषि रक्षा रसायनों /जैविक उत्पादों के लिए संविदा निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 2000.00 (दो हजार रू0) + जी0एस0टी0 रू0 360.00 (रूपये तीन सौ साठ) कुल रूपये 2360.00 (रूपये दो हजार तीन सौ साठ) मात्र निर्धारित शुल्क देय अनिवार्य होगा। उक्त दर प्रस्ताव शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट से ही स्वीकार किया जाएगा। जो **संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड** के नाम से काशीपुर में देय होगा तथा बैंक ड्राफ्ट दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 से दिनांक 15 अक्टूबर ,2026 तक की अवधि के बने हो, मान्य होंगे। इसके पश्चात की तिथि के बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 से विभागीय वेबसाइट www.sugarcaneuk.in द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है।

दर प्रस्ताव दो भागों में स्वीकार किये जायेंगे।

1. प्रथम भाग में तकनीकी प्रपत्र (Technical Bid)।
2. द्वितीय भाग में वित्तीय प्रपत्र (Financial Bid)।

उक्त दोनों प्रकार के प्रपत्र अलग–अलग पैकेटों में सील करके एक तीसरे लिफाफे में सील बन्द कर निविदा दर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगें। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर उस बीज उपचारक दवा/कीटनाशक/खरपतवारनाशक दवा का नाम एवं फर्म का नाम अंकित किया जाये, जिसका दर प्रस्ताव दिया गया है। निविदा दर प्रस्ताव दिनांक 16 अक्टूबर, 2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिन दोपहर 12:00 बजे केन्द्रीय क्रय समिति के सम्मुख खोले जायेंगे।

1. सभी दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली ख्याति प्राप्त मूल विनिर्माता फर्में एवं फर्मो के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता विभाग द्वारा दर प्रस्ताव निविदा प्रपत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 तक मुख्यालय से अथवा विभागीय वेबसाइट www.sugarcaneuk.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है।
2. सर्वप्रथम तकनीक प्रपत्र (Technical Bid) खोले जायेंगें। तकनीकी निविदा में सफल विनिर्माणित इकाईयों व उनके अधीन पंजीकृत फर्मों के ही वित्तीय निविदा प्रपत्र (Financial Bid) खोले जायेंगे।
3. निविदा दर प्रस्ताव ख्याति प्राप्त मूल विनिर्माता फर्में एवं फर्मों के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही स्वीकार्य की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु मूल निर्माता फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के प्रतिभाग किये जाने सम्बन्धी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। अनाधिकृत डीलर द्वारा दिये गये प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।
4. दर प्रपत्र में कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में अंकित वैधता तिथि को स्पष्ट व पठननीय बनाने हेतु हाईलाइट करते हुये समस्त अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. केवल उन्हीं फर्मो की दर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा जिनके प्रस्ताव के साथ फर्म को रसायन हेतु प्रदत्त आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0/बी0आई0एस0 तथा टैक्नीकल ग्रेड विनिर्माण हेतु प्रदत्त वैध विनिर्माण लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गयी हो, इसके अभाव में प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. दर प्रस्ताव कर्ता फर्म द्वारा समस्त वैध प्रमाण पत्र जैसे पैन नम्बर (P.A.N.) एवं Goods & Services Tex (GST) पंजीकरण प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायें।
7. दर प्रस्ताव कर्ता फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा लाईसेंस प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाये।
8. तकनीकी ग्रेड मूल उत्पादक/निर्माता फर्म (कम्पनी) का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 03 करोड़ होना चाहिए, जिस हेतु निविदादाता/फर्म द्वारा मूल उत्पादक निर्माता फर्म (कम्पनी) की वित्तीय वर्ष 2024–25 अथवा वर्ष 2025–26 में से किसी एक वर्ष की चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी0ए0) द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट अथवा टर्न ऑवर प्रमाण पत्र संलग्नक किया जाना अनिवार्य है।

9. प्रत्येक गन्ना रक्षा रसायन/जैविक उत्पाद हेतु धरोहर धनराशि (EMD) के रूप में रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये) मूल्य मात्र की धरोहर धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0 बनवाकर जो संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के नाम काशीपुर में देय होगा, तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) से बाहर के देय बैंक एफ0डी0आर0 स्वीकार नही किया जायेगा। एफ0डी0आर0 संलग्न न होने की दशा में प्रस्ताव निरस्त होगा। जमा धरोहर राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10. जिन फर्मों का दर प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा, उनकी धरोहर राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

11. दर अनुबन्ध समय सीमा समाप्त होने के तीन माह पश्चात फर्म के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त न होने पर धरोहर राशि अनुबन्धित फर्म को वापस की जायेगी।

12. उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि रसायनों को सम्बन्धित अनुबन्धित फर्मों से क्रय कर गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. बीज उपचारक, भूमि उपचारक/कीटनाशक कृषि रसायनों एवं अन्य के आपूर्ति आदेश केन्द्रीयकृत न होकर गन्ना समितियों के माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताओं (किसानों की मांग) के अनुसार गन्ना समितियों द्वारा दिये जायेंगे।

14. आपूर्ति आदेश में उल्लेखित समय सीमा के अन्दर कृषि रक्षा रसायनों/जैविक उत्पाद की आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात आपूर्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

15. कृषि रसायनों की दरें सभी टैक्सों सहित उत्तराखण्ड राज्य की सभी गन्ना समितियों के गोदाम तक पहुंचाने की शर्तों सहित अंकित की जायेगी। आपूर्तित उत्पाद के साथ Goods & Service Tex (GST) का बीजक E-Waybill के साथ आपूर्ति प्राप्त कर्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

16. कृषि रसायन के आपूर्ति, आदेश में दी गई निर्धारित तिथि के अन्दर एफ0ओ0आर0 डेस्टीनेशन तक अर्थात गन्ना समिति के गोदाम तक करनी होगी।

17. निविदा दर प्रस्ताव में प्रस्तुत दरें राज्य में अन्य संस्थाओं को समान शर्तों पर कम दर पर दी गई होगी तो उस फर्म की स्वीकृत दर भी रद्द कर दी जायेगी।

18. निर्माता फर्म द्वारा विगत पॉच वर्ष (2021–22 से 2025–26) में कम से कम रू0 15.00 (पन्द्रह) लाख की धनराशि के कृषि रसायन/जैविक उत्पाद किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सहकारी संस्था अथवा फेडरेशन को वितरित किये गये हों, उक्त हेतु सम्बन्धित कार्य का कार्यादेश (Workoder) संलग्नक करेंगे।

19. फर्म द्वारा कृषि रसायनों/जैविक उत्पादों की पैकिंग पर बैच संख्या एवं कालातीत होने की तिथि (एक्सपायरी तिथि) का विवरण नियमानुसार अंकित किया जायेगा, साथ ही कृषि रसायन आपूर्ति सम्बन्धी चालान एवं बिल का भी कृषि रसायनों की एक्सपायर होने की तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने के साथ वांछित प्रमाण पत्र अनिर्वायता प्रस्तुत करना होगा।

20. कृषि रसायन प्राप्त होने पर प्रत्येक कृषि रसायन का बैचवार/लाटवार डेस्टीनेशन नमूना आहरण करते हुए विश्लेषण की कार्यवाही की जायेगी। विश्लेषण शुल्क एवं कृषि रसायन के नमूने की मात्रा का मूल्य आपूर्ति कर्त्ता अनुबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

21. आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा अपने उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित उत्पाद आपूर्ति के दिवस को 1 वर्ष बैध हो अर्थात् आपूर्ति तिथि से उत्पाद की अवसान तिथि कम से कम 1 वर्ष बची हों। चयनित फर्म द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंधन किये जाने की दशा में न तो उक्त आपूर्ति उत्पाद का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म को Black List (काली सूची) में किये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

22. कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत रसायन का बैच/लॉट डिस्टीनेशन नमूना आहरण किया जायेगा और यदि विशलेषण में कृषि रसायन अधोमानक/मिस ब्राण्डेड पाए जाते है, तो सम्पूर्ण आपूर्ति उत्पाद को फर्म को वापस लेना होगा तथा वापसी की स्थिति में होने वाले मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति भी फर्म द्वारा स्वय वहन की जायेगी। कृषि रसायन का भुगतान डिस्टीलेशन नमूने अर्थात विश्लेषण रिपोर्ट में मनक अनुरूप पाए जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

23. क्रय किये गये कृषि रसायनो के अवशेष रहने की दशा में कालातीत अवधि से 3 माह पूर्व क्रेता गन्ना समिति द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म को अवशेष कृषि रसायन की मात्रा की सूचना प्रेषित की जायेगी तथा फर्म के प्रत्येक क्रय आदेश के सापेक्ष पूर्ण 100 प्रतिशत मात्रा का फ्री रिप्लेसमेन्ट करना अनिवार्य होगा।

24. फर्म को कृषि रसायन की प्रत्येक पैकिंग के साथ कृषि रसायन के प्रयोग सम्बन्धी दिशा–निर्देश हिन्दी/अंग्रजी भाषा में छपा हुआ साहित्य/लीफलेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

25. यदि किसी कृषि रसायन को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है तो उक्त दर अनुबन्ध स्वयं ही समाप्त हो जायेगा।

26. विभागाध्यक्ष/आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर को किसी एक या सभी निविदा प्रपत्रों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. विभाग तथा आपूर्तिकर्ता फर्म के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अन्तिम निर्णय का अधिकार विभागाध्यक्ष/आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर का होगा। किसी भी विधिक विवाद के निपटारे का कार्यक्षेत्र स्थानीय जनपद न्यायालय होगा, तथा न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा।

28. फर्मों/फर्मों के प्रतिनिधियों के निविदा दर प्रस्ताव में अंकित दरों के अनुमोदित होने पर यह अनुबन्धित दर की वैधता दिनांक 30 जून, 2027 तक के लिये वैध मानी जायेगी।

29. विभाग के लिए यह आवश्यक नही है कि, वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करे, कृषि रसायनों की दरों पर निर्णय लेते समय प्रस्तुतकर्ता फर्म की गुणवत्ता, मेक, ब्रेन्ड, नेम व किसान की मॉग व सभी पूर्ण अनुभवों आदि के आधार पर कृषि रसायन क्रय समिति विचार कर सकती है।

30. किसी भी क्रय आदेश के सापेक्ष पार्ट आपूर्ति नहीं ली जायेगी।

31. प्रस्ताव बन्द व खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है। तो ऐसी दशा में प्रस्ताव को बन्द व खोलने की तिथि हेतु अगला कार्यदिवस निर्धारित होना समझा जायें।

32. एग्रो फोर्स मेजर क्लाज किसी एक अप्रत्यक्ष रूप से घटना घटित होने के कारण जिसमें आपूर्ति बाधित हो सकती है। जैसे युद्ध, शासकीय शोक, दुर्घटना हड़ताल, लाक आउट आदि होने पर इस हेतु आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा इगित परिस्थिति/परिस्थितियॉ उत्पन्न होने की स्थिति में एक सप्ताह के भीतर क्रेता को प्रमाण पत्र सहित लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य होगा। उक्त दशा में यदि कार्य प्रभावित होता है तो क्रेता 60 दिन के बाद अनुबन्ध निरस्त कर देगे। सशर्त दी गई दर प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

33. किसी राज्य केन्द्र सरकार द्वारा मूल विनिर्माता फर्म के किसी रसायन के नमूने को कीटनाशी अधिनियम 1985/एफ0सी0ओ0 1985 के अन्तर्गत अधोमानक/मिस्ब्राण्डेड घोषित किया गया हो अथवा सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही यथा जेल की सजा/आर्थिक दण्ड दिया गया हो, तो ऐसी दशा में क्रय समिति ऐसी फर्म के गन्ना रक्षा रसायन/जैविक उत्पाद का दर प्रस्ताव आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लेगी। इस सम्बन्ध में कृत्य को छुपाया गया है और बाद में क्रय समिति को इस बात का संज्ञान होता है तो फर्म को काली सूची (Black List) में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

34. निविदा दर के वित्तीय प्रपत्र (Financial Bid) भाग 2 पर आइटम वाइज/पैकिंग वाइज प्रति ली0/प्रति किग्रा0/प्रति यूनिट दरें अंकित की जायेगी। पैकिंग वही स्वीकार्य होगी जो पत्र के साथ सूचित की गई है। अंशतः या अधूरी दरें स्वीकार नही की जायेगी। बेसिक मूल्य के साथ विभिन्न दरों करों का विवरण भी दिया जायेगा। कृषि रसायन का प्रति ली0 या किग्रा मूल्य वित्तीय दर प्रस्ताव में अंकित करना अनिवार्य होगा अन्यथा दर प्रस्ताव निरस्त कर दी जायेगी। सूचित सैल्फ लाईफ ही स्वीकार्य होगी।

35. तकनीकी दर प्रस्ताव प्रपत्र भाग–1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पठनीय होने नितान्त आवश्यक है साथ ही फर्म के सभी डाक्यूमेन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा सील सहित प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Signature) कर दर प्रस्ताव करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा।

36. राज्य की गन्ना समितियों के द्वारा कृषि रसायन क्रय किये जाने है, दर अनुबन्ध द्वारा राजकीय खरीद नहीं की जा रही है।

37. राज्य की गन्ना समितियों के द्वारा कृषि रक्षा रसायन क्रय किये जाने है, दर अनुबन्ध द्वारा राज्यकीय खरीद नहीं की जा रही है।

38. प्रस्ताव प्रपत्र डाक द्वारा स्वीकार्य नही होगा।

39. विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता फर्म को स्वयं बिल देना होगा। इस बिल को Goods & Services Tex (GST) के नियमों के अन्तर्गत प्रेषित किया जायेगा। रसायन का भुगतान सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा सीधे फर्म/अधिकृत आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा।

40. फर्म द्वारा आपूर्तित कृषि रसायन के दो या दो से अधिक बैच अधोमानक होने पर एवं आपूर्ति आदेश के सापेक्ष यथासमय आपूर्ति न करने पर फर्म को काली सूची (Black List) में डाला जा सकता है।

41. यदि फर्म भारत में किसी रसायन विशेष के लिए एकल टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता हो तो मूल विनिर्माता फर्म को रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर अकेली टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता फर्म होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र फर्म प्रबन्ध निदेशक या फर्म के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/दर प्रस्ताव दाता द्वारा स्वयं शपथ पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

42. निविदा दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम की फर्म को भी प्रस्ताव की सभी शर्तो का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा।

43. विभाग द्वारा किसानों की मांगानुसार अनुबन्धित गन्ना रक्षा रसायनों/जैविक उत्पादों का बैचवार /लौटवार डेस्टीनशन नमूना (सैम्पल) आहरित मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। रसायन/जैविक उत्पाद के नमून का विश्लेषा शुल्क का भुगतान (सैम्पल परीक्षण शुल्क) सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/विनिर्माता फर्म के द्वारा वहन किया जायेगा। रसायनों/जैविक उत्पादों की विश्लेषण रिपोर्ट मानक स्तर पर प्राप्त होने पर ही समितियों के माध्यम से किसानों को रसायन/जैविक उत्पाद का वितरण एवं भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

44. कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कृषि रसायन का बैचवार/लौटवार डेस्टीनेशन नमूना आहरित किया जायेगा और कृषि रसायन/जैविक उत्पाद के अधोमानक/मिस ब्रान्डेड पाये जाने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, तथा आपूर्तित मात्रा की वापसी की स्थिति में होने वाले मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति भी फर्म द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

45. अन्य जानकारी हेतु दूरभाष सं0 919068881356 पर या कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क करें।

Digitally signed by Himani Pathak
Date: 09-10-2026
16:56:37

संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,
बाजपुर रोड, काशीपुर
मोबाइल नम्बर – +919068881356

भाग – एक

दर प्रस्ताव तकनीकी निविदा प्रपत्र **(Technical Bid)**

(दर प्रस्ताव प्रपत्र सील बन्द लिफाफे में बन्द कर डाली जायें)

(कृषि रसायन)

1.	टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता फोन/मोबाइल न0 आदि सहित	
2.	टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नाम	
3	धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) का विवरण (संलग्नक–1) 1. फर्म का नाम 2. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम 3. बैंक ड्राफ्ट 4. एफ0डी0आर0 की धनराशि (रू0) 5. एफ0डी0आर0 की संख्या 6. एफ0डी0आर0 की तिथि	
4	टेक्नीकल निर्माता एवं वार्षिक टर्न ओवर सम्बन्धी शपथ पत्र (संलग्नक–2)	
5	आपूर्ति हेतु रसायन का नाम (क). आपूर्ति हेतु रसायन/आइटम का टेक्निकल नाम (ख). रसायन का व्यापारिक नाम	
6	फर्म रसायन ग्रेड विनिर्माण लाईसेंस का विवरण (संलग्नक–3) 1. लाईसेन्स संख्या :– 2. फैक्ट्री जहॉ स्थित है :– (क) राज्य का नाम (ख) स्थान का नाम	
7	रसायन के मानक स्तर का विवरण :– (संलग्नक–4) आई0एस0आई0/बी0आई0एस/आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र संलग्न करें। (क). अधिकृत मार्क (ख). अधिकृत मार्क की संख्या (ग). अधिकृत मार्क की वैधता तिथि (घ). एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रमाण पत्र तथा वैधता की तिथि	
8	रसायन का सी0आई0बी0 पंजीकरण विवरण (संलग्नक–5) 1. पंजीकरण संख्या 2. पंजीकरण दिनांक	

9	रसायन की सेल्फ लाईफ का विवरण (1 वर्ष 2 वर्ष या इससे अधिक जैसी भी स्थिति हो अंकित की जाय)	
10	आयकर विभाग का पैन नम्बर/पंजीयन संख्या (संलग्नक–6)	
11	जी0एस0टी0 की पंजीयन संख्या (संलग्नक–7)	
12	उद्योग विभाग से वैध पंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण (संलग्नक–8)	
13	निर्माता फर्म का विगत वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र/बैलेंश सीट (संलग्नक–9)	
14	निविदा फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनरशि का विवरण (संलग्नक–10) (क) बैंक ड्राफ्ट/डी02 की संख्या व तिथि (ख) जमा की गयी धनराशि	
15	कृषि विभाग उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड में रसायन के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रमाण पत्र (संलग्नक–11)	
16	क्या विनिर्माता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है। "हा" और "नहीं" में उल्लेख किया जाय।	
17	क्या विनिर्माता फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है अथवा निष्पादित हुई है, या किसी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मूल विनिर्माता फर्म के किसी रसायन के अधोमानक/मिस्ब्राण्डेड घोषित होने की दशा में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही यथा जेल की सजा/आर्थिक दण्ड दिया गया हो, या कभी फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है। इस आशय से 100 रू0 मूल्य का नोटरी सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
18	निवितादाता फर्म द्वारा न्यूनतम रू 15 लाख धनराशि का आपूर्ति का कार्य अनुभव (संलग्नक–12)	

नोट :–

1. प्रत्येक बिन्दु से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों/कागजात की प्रतियॉ उपरोक्त दिये गये क्रमों में ही संलग्न की जायें।
2. प्रस्ताव के सीलबन्द लिफाफे पर दाहिनी ओर विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित निविदा अंकित किया जायें।

निर्धारित दर प्रस्ताव/कोटेशन शर्तो पर सहमति

मेरे द्वारा निविदा प्रस्ताव/शर्ते 1 से 45 तक संलग्नक है, भली–भॉति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तो से पूर्णतया सहमत हूँ।"

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

फोन/मोबाइल नं0.....

मोहर/सील.....

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,
बाजपुर रोड, काशीपुर
मोबाइल नम्बर – +919068881356

भाग – एक

दर प्रस्ताव तकनीकी निविदा प्रपत्र **(Technical Bid)**

(निविदा सील बन्द लिफाफे में बन्द कर डाली जाये)

(जैविक उत्पाद / माक्रोन्यूट्रेन्स)

1.	उत्पादक फर्म का नाम व पूरा पता, फैक्स / फोन न0 आदि सहित	
2.	उत्पादक फर्म के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक का नाम	
3.	निविदादाता फर्म	
4.	आपूर्ति हेतु उत्पाद का नाम	
5.	उत्पाद का व्यापारिक नाम	
6.	कच्चे माल की प्राप्ति का श्रोत	
7.	उत्पाद की सेल्फ लाईफ का विवरण :– (1 वर्ष 2 वर्ष या इससे अधिक जैसी स्थिति हो अंकित की जाय)	
8.	धरोहर राशि का विवरण (संलग्नक–1) (क) फर्म का नाम (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम (घ) एफ0डी0आर0 की धनराशि (रू0)	
9.	उत्पादन की आपूर्ति प्रदेश में स्थापित डिपो से करेंगे या प्रदेश के बाहर के डिपो से डिपो का नाम व पूरा डाक पता अंकित किया जायेगा	
10.	उत्पाद के मानक स्तर का विवरण	
11.	उद्योग विभाग के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण (संलग्नक–2)	
12.	राज्य का वैध विनिर्माण लाईसेंस का विवरण (संलग्नक–3) 1. लाईसेंस संख्या 2. अन्तिम वैधता दिनांक (माइक्रोन्यूट्रैन्टस, फर्टीलाइजर हेतु)	
13.	उत्तराखण्ड कृषि विभाग का स्वीकृति पत्र (संलग्नक–4) (माइक्रोन्यूट्रैन्टस फर्टीलाइजर हेतु)	
14.	उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र (संलग्नक–5)	
15.	उद्योग विभाग से निर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण (संलग्नक–6) (पंजीयन प्रमाणपत्र में उत्पाद का उल्लेख होना अनिवार्य है।)	

16.	(अ) इक्साइज विभाग का पंजीकरण यदि आवश्यक हो तो (ब) यदि अवमुक्त है, तो उसका सत्यापित प्रमाण पत्र/क्लियरेन्स प्रमाण पत्र (संलग्नक–7)	
17.	क्या विनिर्माता फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है अथवा निष्पादित हुई है, या किसी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मूल विनिर्माता फर्म के किसी रसायन के अधोमानक/मिस्ब्राण्डेड घोषित होने की दशा में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही यथा जेल की सजा/आर्थिक दण्ड दिया गया हो, या कभी फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है। इस आशय से 100 रू0 मूल्य का नोटरी सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
18.	उत्पाद में सम्मिलित तत्वों की तत्ववार न्यूनतम प्रतिशत मात्रा विवरण (संलग्नक–8) (किसी भी टेस्ट रिपोर्ट की जो निकटतम माह की हो प्रति लगायें)	
19.	निर्माता फर्म का वार्षिक टर्न ओवर से सम्बन्धित सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विगत वर्ष की बैलेंस शीट/टर्न ओवर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।	
20.	मूल उत्पादन एवं वार्षिक टर्न ओवर सम्बंधी नोटरी शपथ पत्र में उल्लेखित किया गया जायेगा। (संलग्नक–9)	
21.	निविदादाता फर्म द्वारा न्यूनतम रू0 15 लाख धनराशि का आपूर्ति का कार्य अनुभव (संलग्नक–12)	

नोट :–

1. प्रत्येक बिन्दु से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रतियां उपरोक्त दिये गये क्रमों में ही संलग्न की जाए।
2. प्रस्ताव के सीलबन्द लिफाफे पर दाहिनी ओर विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित निविदा क्रमांक अंकित किया जाए।

निर्धारित निविदा शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा निविदा प्रस्ताव/शर्तें 1 से 45 तक संलग्नक है, मेरे द्वारा पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया सहमत हूँ।

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

पता.....

फोन/मोबाइल नं0.....

मोहर/सील.....

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,
बाजपुर रोड, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)

भाग–दो

वित्तीय दर प्रस्ताव प्रपत्र **(Financial Bid)**

कृषि रक्षा रसायन/जैविक उत्पाद की वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु फर्मवार, रसायनवार/उत्पादवार, पैकिंगवार दरों का विवरण
(दर प्रस्ताव प्रपत्र सील बन्द लिफाफे में बन्द कर डाली जायें)

फर्म का नाम व पूरा पता		रसायन का नाम/ उत्पाद का नाम	पैकिंग	पैकिंग दर जी0 एस0 टी0 सहित	दर प्रति लीटर/किलोग्राम		
					बेसिक मूल्य	जी0एस0 टी0	यूनिट कास्ट/ प्रति ली0/ कि0ग्रा0 (5+6) का योग
1		2	3	4	5	6	7
	1	क्लोरानट्रानिलिप्रोल 18.50% एस.सी.	150 एम0एल0				
	2	क्लोरानट्रानिलिप्रोल 48.75% डब्लू/डब्लू एस.सी.	50 एम0एल0				
	3	क्लोरानट्रानिलिप्रोल 0.4% जी.आर.	4 किग्रा				
	4	फिप्रोनिल 5% एस.सी.	500 एम0एल0				
	5	फिप्रोनिल 0.3% जी.आर.	5 कि0ग्राम				
	6	इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एस.एल.	500 एम0एल0 /1 ली0				
	7	फिप्रोनिल 40% + एमिडाक्लोप्रिड 40% डब्लू.जी.	100 ग्राम				
	8	प्रोपिकोनाजोल 25% ई.सी.	500 एम0एल0				
	9	एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एस.सी.	250 एम0एल0				
	10	ट्राइकोडर्मा तरल (10^6cfu/ML)	500 एम0एल0 /1 ली0				
	11	ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर (1.5% WP cfu 2×10^6/ग्राम)	500 ग्राम /1 किग्रा0				
	12	स्यूडोमोनास तरल (1×10^8cfu/ML)	500 एम0एल0 /1 ली0				
	13	स्यूडोमोनास फ्लूरोसेंस पाउडर (1% WPcfu 1×10^8/ग्राम)	500 ग्राम /1 किग्रा0				
	14	बिवेरिया बेसियाना पाउडर (1.5% WP cfu 1×10^8/ग्राम)	500 ग्राम /1 किग्रा0				
	15	ग्लूओनोएसीटोबैक्टर डाईजोट्रोफिक्स दानेदार (5×10^7 cfu/ग्राम)	4 कि0ग्राम				
	16	वर्टिसिलियम क्लामाइडोस्पोरियम (1% WPcfu 1×10^6/ग्राम)	500 ग्राम /1 किग्रा0				

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि/प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर.....

पूर्ण पता.....

फोन नम्बर.....

मो0 नम्बर.....

मोहर/सील.....